न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—84/2020/223 आर.टी.एक्ट (2020/00084)

1. श्रीमती लक्ष्मीदेवी उर्फ कबूडी सरगरा पुत्री स्व0 श्री अमरचंद जी सरगरा पत्नि कन्हैयालाल उर्फ कानजी सरगरा निवासी ग्राम रूपनगर हाल आजाद नगर पानी की टंकी के पास, मदनगंज—किशनगढ जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती ममता देवी पत्नि अमरचंद जाति बलाई निवासी रूपनगर
2. गलकू देवी बेवा जयराम जाति बलाई निवासी रूपनगर मृतका जरिए कानूनी वारिसान—:
   2/1 अमरचंद पुत्र स्व0 जयराम जाति बलाई निवासी रूपनगर जिला अजमेर
   2/2 रोडकी पुत्री स्व0 जयराम जाति बलाई निवासी रूपनगर जिला अजमेर।
3. सीतादेवी रैगर पत्नि तेजपाल जाति रैगर निवासी ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगर जिला अजमेर।
4. रतनलाल जाट पुत्र श्री देवाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोरडी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
5. तहसीलदार किशनगढ
6. उपपंजीयक, रूपनगर
7. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, रूपनगर

रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2020 राजस्व वाद संख्या 15/2014.

उपस्थितः—

1. श्री महेश अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 5 से 7.
3. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2/1, 2/2, 3 व 4 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—13.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 15/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 15/2014 श्रीमती लक्ष्मी देवी बनाम श्रीमती ममता देवी वगैराह में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 13.02.2020 से नाराज एवं असहमत होकर यह अपील प्रस्तुत कर रही है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर मनमाने रूप से एवं गलत तौर पर उक्त आदेश पारित किया गया है जो आदेश/निर्णय गलत तथा अविधिक होने के कारण अपास्त होने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों एवं विधिक प्रावधानों का पूर्ण रूप से विवेचन नहीं किया गया है केवल मात्र अपनी मनमर्जी से गलत एवं अवैध तौर पर अपने कयास लगाए जाकर अपीलार्थीया का वाद पत्र खारिज किया गया है। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 15/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 2/1, 2/2, 3 व 4 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलार्थीया/वादीनी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद बाबत घोषणात्मक अनुतोष एवं स्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष प्राप्त करने हेतु अंतर्गत धारा 88, 188 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था तथा वादीया ने उक्त वाद में राजस्व ग्राम रूपनगढ में स्थित खसरा संख्या 2241 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा बंजर प्रथम कृषि भूमि के काश्तकार नारायण सरगरा की मृत्यु होने के बाद उसके एक मात्र पुत्र अमरचंद सरगरा की भी मृत्यु हो जाने के कारण तथा वादीया के नाम बतौर वारिसान नामांतरण नहीं खोलने के कारण तथा उक्त कृषि भूमि का नामांतरण केवल मात्र अमरचंद की पत्नी सोनी देवी एवं नाबालिग पुत्र रामावतार के नाम नामांतरण खोला गया था जबकि वादीया/अपीलार्थीया जो कि मृतक खातेदार नारायण की पौत्री है तथा अमरचंद की पुत्री है इस कारण वादीया का उक्त कृषि आराजी भूमि में हक एवं अधिकार होने के कारण तथा नाबालिग लापता रामावतार सरगरा के हिस्से की कृषि भूमि की भी वारिस उत्तराधिकारी होने के कारण काश्तकार काबिजदार घोषित करवाने का अनुतोष मांगते हुए एवं अन्य अनुतोष मांगते हुए विधिवत दिनांक 21.01.2013 को दावा प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्रों को सिविल न्यायालय में निरस्त करवाने की कार्यवाही करने एवं सिविल न्यायालय में अपना हिस्सा घोषित करवाने की कार्यवाही करनी चाहिए मानकर वादीया का दावा गलत खारिज किया है क्योंकि वादीयान ने यह दावा केवल मात्र अपने हक–अधिकार की कृषि भूमि की घोषणात्मक अनुतोष का दावा किया है एवं विक्रय पत्र वादीया ने अपने हक की भूमि का निष्पादित नहीं किया है इस कारण वादीया उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने की विधिक आवश्यकता नहीं है तथा राजस्व भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को नहीं है बल्कि राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानून एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है तथा वादीया को वादकारण उत्पन्न नहीं होने बाबत भी गलत निर्णय पारित किया है तथा सजरा प्रमाण पत्र के अनुसार कमला व संतोष का दावा में उल्लेख नहीं होने के कारण तथ्यों को छिपाने के आधार पर दावा खारिज किया है जबकि यह सब साक्ष्य की विषय वस्तु है तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में इस आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर वादीया का कब्जा नहीं होना मानते हुए दावा खारिज किया गया है जबकि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान के तहत वादीया का दाव खारिज नहीं किया गया है। वादीया द्वारा अपनी बहन कमला व संतोष का नाम दावा में नहीं बताने के कारण वादीया का दावा किसी भी कानून के तहत खारिज होने योग्य नहीं है तथा वादीया के दावा के प्रति श्रीमती कमला व संतोष ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कभी भी आपत्ति नहीं की है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भी जवाबदावा में आपत्ति नहीं उठाई है तथा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत भी न्यायालय अगर उन्हें सुसंगत पक्षकार मानता है तो स्वयं न्यायालय भी उन्हें दावा में पक्षकार बना सकता है परंतु वादीया का दावा इस आधार पर सरासर गलत खारिज किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 15/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2020 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादीया ने विधिवत रूप से अपने हक एवं अधिकारों की घोषणा के लिए पुख्तैनी भूमि का दावा प्रस्तुत किया है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक खातेदार श्री नारायण सरगरा की विरासत सभी जाईन्दा वारिसों के नाम नहीं खोलकर केवल पुत्रवधु के नाम खोली गई है जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी खातेदार की मृत्यु होने पर सभी जाईन्दा वारिसों के नाम विरासत तस्दीक की जाएगी पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलांट स्व0 नारायण सरगरा की जाईन्दा पुत्री है। नारायण सरगरा की मृत्यु होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 389 दिनांक 20.1983 को गलत रूप से नारायण की पुत्रवधु सोनी देवी एवं नाबालिग पुत्र रामवतार के नाम खोला गया जबकि अपीलांट वादिया नारायण की प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा नारायण का पुत्र रामवतार लापता है नारायण की पुत्रवधू सोनीदेवी द्वारा अपने नाम गलत रूप से विरासत तस्दीक करवाकर अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बैचान प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में बैचाननामे तस्दीक किए है पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 2.4.2013 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया जाकर जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया उन्हीं तथ्यों पर दोबारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया जबकि एकबार न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जाता है तो उन्हीं आधारों पर दोबारा पेश आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय में वादीया ने वाद कारण अंकित करते हुए अधिकारों की घोषणा बाबत उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को दिनांक 2.4.2013 को खारिज किया गया तथा उक्त आदेश को प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट 1 व 2 चुनौती नहीं दी इसलिए उक्त आदेश दिनांक 2.4.2013 अंतिम हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक व कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे उनके समक्ष विचाराधीन उक्त वाद पत्र को स्व0 अमरचंद के सभी वारिसों को पक्षकार संयोजित करते हुए दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य लेकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया । उपरोक्त कारणों से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 15/2014 में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2020 विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 15/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2020 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह स्व0 अमरचंद पुत्र नारायण सरगरा के सभी वारिसान को वाद में पक्षकार संयोजित कर दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य लेकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का पुनः गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

13/11/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner